

शासनादेश संख्या : 13 /2016/सा-3-180 /एसएम-2016-301(09)/2011, दिनांक 19 मई 2016 का संदर्भ

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी / पारिवारिक पेंशन / निःशर्तता पेंशन के विकल्प का प्रारूप

- 1- कर्मचारी का नाम
- 2- स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN)
- 3- पदनाम
- 4- (i) अन्तिम वेतनमान (पे-बैंड एवं ग्रेड पे)
- (ii) अन्तिम आहरित वेतन (मूल वेतन एवं ग्रेड पे)
- 5- विभाग
- 6- तैनाती का अन्तिम कार्यालय
- 7- सम्बद्ध कोषागार (i)
- (ii) पंजीकरण संख्या
- 8- आहरण एवं वितरण अधिकारी (i)
- (ii) पंजीकरण संख्या
- 9- कर्मचारी के आश्रितों का विवरण (नाम एवं कर्मचारी से सम्बन्ध)
 - (i)
 - (ii)
 - (iii) आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर
- (1)
- (2)
- (3)
- 10- आवेदक/आवेदकों की अण्डर टेकिंग
 - (i) मैं / हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि उपर्युक्त विवरण पूर्णतया सही एवं सत्य है, तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है और न ही जानबूझ कर कोई अन्य सूचना अंकित की गयी है। किसी सूचना / तथ्य के गलत होने पर निस्सन्देह कार्रवाई के लिये सहमत हूँ। मुझे / हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ii) मैं / हम एन.पी.एस. से स्वेच्छा से तथा अपने पूर्ण ज्ञान में यह विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि : (क) मैं / हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत स्थायी सेवायोजित खाता संख्या (PRAN) में संचित धनराशि का यथास्थिति प्रत्यार्पण करने के इच्छुक हैं। मुझे / हमें यह ज्ञात है कि इस सुविधा का वरण करने पर हमें पारिवारिक, पेंशन / निःशर्तता पेंशन / ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी। मैं / हम इसका भविष्य में प्रतिवाद न करने का भी वचन देते हैं।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर
(नाम, पता एवं दिनांक सहित)

(1)

(2)

आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर

(1)

(2)

(3)

(iii) राज्य सरकार के शासनादेश संख्या दिनांक सपोर्टिंग शासनादेश संख्या दिनांक के अधीन पारिवारिक / निःशर्तता पेंशन / विवेकाधीन पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा का वरण करता/करती/करते हैं तथा श्री / श्रीमती (कर्मचारी का नाम) के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन खुले स्थायी सेवायोजित खाता संख्या (PRAN) में संपूर्ण संचित धन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने पक्ष में समायोजित/अंतरित कर लेने पर अपनी बिना शर्त सहमति प्रदान करता/करती/करते हैं।

आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

(नाम एवं पता सहित)

(1)

(2)

दिनांक

स्थान

(1)

(2)

(3)

दिनांक

स्थान

11. आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रमाण-पत्र

क्रमांक संख्या 1 से 8 तक अंकित विवरण का (कर्मचारी का नाम दिया जाये) की सेवा पुस्तिका एवं वेतन पंजी से सत्यापित किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम एवं पदनाम
(मुहर लगायी जाये)

12. कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

क्रमांक संख्या 1 से 9 तक अंकित विवरण (कर्मचारी का नाम) की सेवा पुस्तिका, वेतन पंजी एवं अन्य सेवासम्बन्धी से किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम एवं पदनाम
(मुहर लगायी जाये)

नोट : विकल्प पत्र 03 प्रतियों में भरवाया जाये। एक-एक प्रति सम्बंधित कोषागार, मण्डलीय अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा निदेशक, पेंशन (अथवा सम्बंधित स्टेट नोडल ऑफिसर) को प्रेषित की जाये, दो प्रतियां कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये तथा एक प्रति आवेदक/आवेदकों को वापस कर दी जाये।